	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 29/8 को पेश हो।	
29/08/22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के वकील अनुपस्थित। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को कोर्ट समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त उनवान प्रकरण प्रार्थीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर SDO	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:06 IST
Reason: SelfAttested

94
6
28/10/20

सेवामे,

श्रीमान सहायक कलक्टर एवं (एस डी ओ) महोदय,

गुडामालानी ।

प्रार्थी :—

1. पाबु पुत्र हका उम्र 58 वर्ष
2. मिसरा पुत्र हका उम्र 55 वर्ष
3. मूली W/o रूपाराम उम्र 80 वर्ष

कौम भील साकिन पुंजाबेरी तहसील गुडामालानी

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. लालाराम पुत्र श्री भोमाराम उम्र 70 वर्ष
2. पुनमाराम पुत्र श्री भोमाराम उम्र 65 वर्ष
3. दलाराम पुत्र श्री भेमाराम उम्र 55वर्ष

जाति जाट निवासी पुंजाबेरी तहसील गुडामालानी ।

4. मैनेजर बी सी सी बी बैक शाखा गुडामालानी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते पाने अस्थाही निषेधाज्ञा ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:06 IST
Reason: SelfAttested

महोदयजी,

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है कि :—

अंगुठा निशानी पाबू

1. कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमानजी के समक्ष विधि के ठोस आधारो पर पैश किया है । जिसमे वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रार्थी को प्रथम द्रष्टया सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावना है ।
2. कि सरहद मौजा पुजाबेरी पटवारी क्षेत्र पीपराली तहसील गुडामालानी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 39–01 बीघा व खसरा नम्बर 33/2 रकबा 29–00 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है । कि मेरे खेत के सेढा सेढ प्रतिवादीगण का खेत आया हुआ है ।
3. कि मेरे खातेदारी खेत खसरा संख्या 33 रकबा 39–01 बीघा व खसरा नम्बर 33/2 रकबा 29–00 बीघा भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार विप्रार्थी गण ने मेरी कब्जा काश्त की भूमि पर नाजायज कब्जा कर मौके पर वर्तमान मे पक्की ढाणी बनाने तथा मुझे मेरी पीढियो पुरानी पुश्तेनी भूमि से बेदखल करने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 01 आमदा है तथा मेरे हक की भूमि पर विप्रार्थीगण नाजायज कब्जा करने पर उतारू है जिस हेतु यह आवेदन अस्थाही निषेधाज्ञा श्रीमान के समक्ष पैश है ।
4. कि उक्त विवाद ग्रस्त आराजी के से पाया गया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पडोसी खातेदार विप्रार्थी मौके पर काबिज होकर के कब्जा करने पर उतारू है । जो की उक्त विप्रार्थीगण को जब कब्जा नही करने को कहा तो उन्होने कब्जे करने वाले भू भाग को अपना खातेदारी का होने बताये हुये मेरे कब्जा काश्त की भूमि पर पक्की ढाणी बनाने की धमकी दी इसलिऐ आवेदन अतिक्रमी बेदखली का पैश है ।
5. कि विप्रार्थीगण संख्या 1 उच्ची राजनैतिक पहुच वाला व्यक्ति होने से मेरी कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की नियत से मुझे हमेशा परेशान करता रहता है जिस हेतु मेरे द्वारा एक आवेदन पत्थरगढी का श्रीमानजी के न्यायालय मे पैश किया हुआ है लेकिन आवेदन मे निर्णय होना शेष है तथा वर्तमान मे विप्रार्थीगण मेरी खातेदारी भूमि का सेढा तोडकर हडपना चाहता है तथा मेरी भूमि हडप कर मौके पर पक्की ढाणी बनाकर कब्जा पुख्ता करना चाहता है इसलिऐ विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाही निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वह मौके पर मेरे कब्जे काश्त व मेरी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 33 रकबा 39–01 बीघा व खसरा नम्बर 33/2 रकबा 29–00 बीघा भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:06 IST
Reason: SelfAttested

आनि
पाबू